ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/2025	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रार्थीगण (वादीगण) का प्रार्थना पत्र, संलग्न राजस्व अभिलेखों तथा मुताबिक जमाबन्दी रोटेशन संवत् 2074 से 2077 अनुसार राजस्व ग्राम घोड़ादरा प.ह. भगतपुरा तह. कुशलगढ़ का खाता संख्या-19 नया, का खसरा संख्या-16 का रकबा 0.6151 हैक्ट. व खसरा नम्बर-02 का रकबा 0.3318 हैक्ट. में स्थित होकर उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण (वादीगण) शांतिपूर्ण काश्त करते चले आ रहे है तथा स्वयं काबिज है। उक्त खसरों में अप्रार्थी (प्रतिवादी) का कोई हक नहीं है। प्रतिवादी द्वारा खसरा नम्बर-16 पर वादीगण की शांतिपूर्ण काश्त में खलल अनुचित हस्तक्षेप कर बलपूर्वक अवैध मकान निर्माण किया जा रहा है। पत्रावली में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बार-बार जवाब देने हेतु समय चाहा गया, परन्तु न्यायालय में लम्बे समय से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से आज दिनांक को प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश जारी किया गया तथा प्रार्थीगण (वादीगण) खातेदार अनाधिकृत हस्तक्षेप से पीड़ित होने से स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार होना न्यायोचित है। अतः प्रकरण मे अप्रार्थी (प्रतिवादी) के विरूद्ध मूलवाद के निस्तारण तक खसरा सं. 16 व 02 में प्रार्थीगण को शांतिपूर्ण काश्त करने के लिये निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि में मौके पर यथास्थिति बनाये रखे तथा किसी भी अनाधिकृत हस्तक्षेप को नही करेंगे व न किसी से करवायेंगे। उक्त निर्णय ओपन इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवें। उपखण्ड अधिकारी कु[illegible] जिला बांसवाड़ा (राज.)	